सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 67 / 2015 अपील
पंजीयन दिनांक– 06–08–2015
निर्णय दिनांक – 06–03–2018

1. श्री हीरालाल पिता लालुराम जी मुतबन्ना लखमा जी जाति माली, निवासी भादसौड़ा तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ (राज.)

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती दाखी बाई पुत्री लखमा जी पत्नी चैनराम जी जाति माली, निवासी भादसौड़ा तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ (राज.)
2. तहसीलदार, तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ़।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–

1– श्री भगवान लाल पालीवाल – अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर दिनांक 26.12.2013 प्र.संख्या 49 / 2010.

निर्णय

निर्णय दिनांक 06.03.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2013 प्र.संख्या 49 / 2010. के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भादसौड़ा तहसील भदेसर के आराजी नं. 580, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1290, 1291,1292, 1297,1298, 1299, 1300,1304 एवं 1305 कुल किता 17 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नं.1302, 1303 कुल रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि लखमा पिताा मोड़ा जी, केसुराम, भूरालाल, हिरालाल पिता लालाजी, वक्ती बाई बेवा लालाजी के शामलाती खातेदारी में थी। चेनराम, वक्ती की मृत्यु हो चुकी है,

लखमा पिता मोड़ाजी की भी मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्ट स्व. लखमा पिता मोड़ा जी का गोदी पुत्र होने से तहसीलदार भदेसर द्वारा पंजीकृत गोदनामे के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1922 दिनांक 05.10.1992 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण की प्रथम अपील रेस्पों. संख्या 1 ने लखमा पिता मोड़ा जी की एक मात्र पुत्री होना मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर के न्यायालय में पेश की गई। न्यायायल उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1922 दिनांक 05.10.1992 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार भदेसर को प्रति प्रेषित कर ग्रम भादसौड़ा तहसील भदेसर में मृतक लखमा पिता मोड़ा के नामान्तरकरण की उपयुक्त जांच कर गुणा व गुण के आधार पर विधि अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही का आदेश दिनांक 26.12.2013 को पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पों. की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस सुनी गई। वकील रेस्पों. को लिखित बहस पेश करने हेतु एक सप्ताह का अवसर प्रदान किया। तत्पश्चात भी कोई उपस्थित नहीं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में बताया कि रेस्पों. संख्या 1 श्रीमती दाखीबाई ने नामान्तरकरण सख्या 1922 दिनांक 05.101992 की अपील दिनांक 30.01.2010 को की गई जो स्पष्ट रुप से 18 वर्ष बाद पेश की है जो बहुत अधिक समय पश्चात् अवधि बाधित है। अधिनस्थ न्यायालय में मयाद बाहर अपील पेश करने का कोई ठोस संतोषजनक तथ्य अपील में और धारा 5 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नहीं किया गया है बगैर स्पष्टीकरण दिये जो अधिनस्थ न्यायायल द्वारा निर्णय दिया गया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या 49/2010 के विचाराधीन होने की कोई जानकारी नहीं थी और अपीलान्ट की कोई तामील भी अधीनस्थ अपील न्यायालय में कोई तामील जैरेकार अपील के सम्बन्ध में हुई हो ऐसा कोई सम्मन अपीलान्ट को कभी भी नहीं मिला है। जिससे बगैर अपीलान्ट को विधिवत् सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आगे यह भी कथन किया कि दाखीबाई लखमा जी की जायन्दा पुत्री नहीं होकर गेलड़ पुत्री है और लखमा

जी की जायन्दा पुत्री होने का कोई ठोस सबूत एवं कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने 18 वर्ष पुराने आदेश को निरस्त करने का आदेश देकर गंभीर कानूनी गलती की है। अपीलान्ट को पहली बार जानकार दिनांक 22.12.2014 पटवारी हल्का से खाते की नकल प्राप्त करने से हुई एवं उसी दिन प्रार्थना पत्र पेश किया और नकल मिलते ही अपील प्रस्तुत की जा रहीं है और अपीलमें हुई देरी को क्षम्य की जाकर अन्दर अवधि में शुमार की जावे। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2013 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। मौजा भादसौड़ा तहसील भदेसर के आराजी नं. 580, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1290, 1291,1292, 1297,1298, 1299, 1300,1304 एवं 1305 कुल किता 17 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नं.1302, 1303 कुल रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि लखमा पिता मोड़ा जी, केसुराम, भूरालाल, हिरालाल पिता लालाजी, वक्ती बाई बेवा लालाजी के शामलाती खातेदारी में थी। चेनराम, वक्ती की मृत्यु हो चुकी है, लखमा पिता मोड़ाजी की भी मृत्यु हो चुकी है। अपीलान्ट स्व. लखमा पिता मोड़ा जी का गोदी पुत्र होने से तहसीलदार भदेसर द्वारा पंजीकृत गोदनामे के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1922 दिनांक 05.10.1992 को स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या 49/2010 के विचाराधीन होने की कोई जानकारी नहीं थी और अपीलान्ट की कोई तामील भी अधीनस्थ अपील न्यायालय में कोई तामील जैरेकार अपील के सम्बन्ध में प्राप्त हुई हो ऐसा कोई सम्मन अपीलान्ट को कभी भी नहीं मिला है। जिससे बगैर अपीलान्ट को विधिवत् सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सम्मन पर अपीलान्ट के पुत्र द्वारा सम्मन प्राप्त किये जाने की स्पष्ट रिपोर्ट है तथा अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनाक 30.10.2013 में भी बावजूद तामील के रेस्पों. अनुपस्थित रहने का अंकन किया हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर ने माना है कि तहसीलदार भदेसर द्वारा सभी हितबद्ध लोगों को सूचना पत्र जारी किये बिना एवं तस्दीक करने से पूर्व लखमा के वारिसानों की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पों. संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1922

दिनांक 05.10.1992 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार भदेसर को प्रतिप्रेषित कर मृतक लखमा पिता मोड़ा के नामान्तरकरण की उपयुक्त जांच कर गुणावगुण के आधार पर विधि अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 26.12.2013 को पारित किया गया है। उक्त आदेश में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम अधिनस्थ न्यायायल के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2013 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2018 को खुले न्यायालय में सूनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर